न्यायालय विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम), कानपुर नगर।

सत्र परीक्षण संख्या 658/2002

सरकार बनाम श्याम बाबू आदि

निस्तारण प्रार्थनापत्र 216 दंड प्रक्रिया संहिता

16.10.2024

पेश हुआ। पुकारा गया। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता व राज्य के विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित है।

उभयपक्ष को प्रार्थनापत्र धारा 216 दंड प्रक्रिया संहिता पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थनापत्र धारा 216 दंड प्रक्रिया संहिता अभियुक्त राम नरायन द्वारा इस आशय से दिया गया कि पीड़िता पी0डब्लू0–2 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वयं की जाति गिहार ठाकुर बताया है जो पिछड़ी जाति है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरूद्व धारा 3(2)5 एस.सी.एस.टी.एक्ट का आरोप नही बनता है। विरचित आरोप धारा 3(2)5 एस.सी.एस.टी.एक्ट से अभियुक्त को उन्मोचित किया जाए।

पत्रावली को अवलोकित करने से स्पष्ट हुआ कि सर्वप्रथम दिनांक 29.01.2003 को अभियुक्तण श्याम बाबू व राम नरायन के विरूद्व धारा 363, 366 भा0द0स0 तथा अभियुक्त श्याम बाबू के विरूद्व धारा 376 भा0द0स0 का अतिरिक्त आरोप विरचित किया तथा पत्रावली अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी. कक्ष संख्या–2 के न्यायालय मे लम्बित चल रही थी।

दिनांक 05.03.2004 को अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी. कक्ष संख्या–2 ने माननीय सत्र न्यायाधीश को इस आशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया कि प्रश्नगत मामले में धारा 3(1)10, 3(2)5 एस.सी.एस.टी.एक्ट का आरोप अभियुक्त राम नरायन के विरूद्व विरचित होना चाहिए क्योंकि सूचनादाता व पीड़ित कंजड़ अनुसूचित जाति के है।

अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–5 कानपुर नगर द्वारा पुनः एक अन्य प्रार्थनापत्र माननीय सत्र न्यायाधीश को प्रेषित किया गया कि प्रकरण एस.सी./एस.टी.एक्ट न्यायालय को अंतरित किया जाए।

जिसके फलस्वरूप माननीय सत्र न्यायाधीश द्वारा दिनांक 31.05.2011 को प्रश्नगत पत्रावली विचारण हेतु इस न्यायालय को अंतरित करने का आदेश पारित किया।

दिनांक 01.09.2011 को मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी ने उभयपक्ष को सुनकर विस्तृत आदेश के साथ अभियुक्त नरायन के विरूद्व धारा 3(2)5 एस.सी.एस.टी.एक्ट का पूरक आरोप विरचित किया। बादहू साक्ष्य की कार्यवाही पूर्ण हुयी तथा पत्रावली बयान धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता हेतु नियत की गयी।

आरोप पत्रावली पर उपलब्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर विरचित होता है न की आरोप के लिए पत्रावली पर उस स्तर का साक्ष्य आवश्यक है जिस स्तर का साक्ष्य अभियुक्त की दोषसिद्व के लिए आवश्यक होता है। मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी ने दिनांक 01.09.2011 के द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्व धारा 3(2)5 एस.सी.एस.टी.एक्ट का आरेाप विरचित किया था यदि किन्ही परिस्थितियों में उक्त धारा का आरोप साबित करने का संदेह से परे साक्ष्य मौजूद नही मिलेगा तब न्यायालय अभियुक्त राम नरायन को उक्त धारा में कदापि दोषसिद्व नही कर सकेगी परन्तु इस स्तर पर आदेश दिनांक 01.09.2011 के प्रतिकूल अभियुक्त राम नरायन को आरोप से दोषमुक्त करने या आरोप परिवर्तित करना उचित प्रतीत नही होता है। यदि अभियुक्त राम नरायन को किन्ही परिस्थितियों मे आदेश दिनांक 01.09.2011 से हकतल्फी थी तो उसे उक्त आदेश के विरूद्व अपील अथवा रिवीजन माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिए था परन्तु उन्होने ऐसा कुछ नही किया।

पत्रावली अति प्राचीन है तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित एक्शन प्लान में सम्मिलित है।

उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त राम नरायन का प्रार्थनापत्र धारा 216 दंड प्रकिया सहिता निराधार है खारिज होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थनापत्र धारा 216 दंड प्रकिया संहिता खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते बयान धारा 313 दंड प्रकिया संहिता दिनांक 21.10.2024 को पेश हो।

(सुदामा प्रसाद)
विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम)
कानपुर–नगर
16.10.2024

Digitally signed by SUDAMA PRASAD
Date: 2024.10.16 18:00:01 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court